प्रेसनोट दिनांक 04-12-2024 थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद ।

➢थाना रसूलपुर पुलिस टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले इनामिया इन्तजार अली उर्फ राजू उर्फ इन्तयाज अली को मुठभेड में किया गया गिरफ्तार ।

➢ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित द्वरा इन्तयाज अली पर घोषित किया गया था 15000 रुपये का इनाम...

- **थाना रसूलपुर पुलिस टीम की कार्यवाही में वांछित इनामिया अभियुक्त इन्तयाज के पैर में गोली लगने से हुआ घायल , घायल अभियुक्त को उपचार हेतु सरकारी अस्पताल भेजा गया ।**
- **अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर , 01 खोखा कारतूस 315 बोर , 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर , एक मोटर साइकिल बिना नम्बर की ।**
- थाना रसूलपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-392/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व 111(2) B बीएनएस में अभियुक्त इन्तजार अली चल रहा था वांछित ।

इसी अभियोग में अभियुक्त इन्तजार अली का साथी शकील उर्फ हाजी को 01 किलो 250 ग्राम चरस सहित किया जा चुका है गिरफ्तार......

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में मु0अ0सं0-392/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व 111(2) B बीएनएस में वांछित अभियुक्त इन्तयाज अली उर्फ राजू उर्फ इन्तजार अली की गिरफ्तारी हेतु 03 टीमों का गठन किया गया था । इसी क्रम में दिनांक 03-12-2024 को थाना रसूलपुर पुलिस टीम को चैकिंग के दौरान मुखबिर खास द्वारा

सूचना दी गयी कि मु0अ0सं0-392/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व 111(2) B बीएनएस में वांछित अभियुक्त इन्तजार अली गाँव मौढा से खंजापुर की ओर जा रहा है। उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा गाँव मौढ़ा से खंजापुर जाने वाले रोड पर चैकिंग की जा रही थी। इसी दौरान ग्राम मौढा की तरफ से एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखायी दी जिस पर पुलिस टीम द्वारा रुकने का इसारा किया गया। अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम को अपनी ओर आता देख पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा खुद को बचाते हुए आत्मरक्षार्थ की गयी जबावी फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लग गयी। अभियुक्त को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया एवं उपचार हेतु सरकारी अस्पताल भिजवाया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर , 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर , 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर , एक मोटरसाइकिल (बिना नम्बर की) बरामद किये गये है।

अभियुक्त का नाम व पता-

01-इन्तजार अली उर्फ राजू उर्फ इन्तयाज अली पुत्र शमसुल हसन निवासी कोहीनूर रोड नूरनगर थाना रामगढ जनपद फिरोजाबाद।

आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 474/18 धारा 302,498 भादवि , ¾ द0प्र0अधि0 थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद।

2-मु0अ0सं0-36/22 धारा 20/22/23/25/60/8 एनडीपीएस एक्ट थाना छत्ता जनपद आगरा।

3-मु0अ0सं0-392/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व 111 111(2) B बीएनएस थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी का विवरण-

01 अदद तमंचा 315 बोर ,

01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर ,

02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर ,

एक मोटरसाइकिल (बिना नम्बर की)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- प्रभारी रसूलपुर निरीक्षक अनुज कुमार थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।

2-SI विमल कुमार थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।

3-SI अमित आनंद थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।

4-SI सुनील कुमार थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।

5-आरक्षी पवन कुमार थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।

6- मुख्य आरक्षी आफताब थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।

7- आरक्षी रॉकी थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।

8- आरक्षी अभिषेक उज्जवल थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।

9- मुख्य आरक्षी शैलेंद्र थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।

10- मुख्य आरक्षी प्रणवीर थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।

11-चालक मुख्य आरक्षी रवि कुमार थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।

12- प्रभारी सर्विलांस अमित कुमार

13-मुख्य आरक्षी अनिल कुमार